


25-6-19 अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अपीलान्ट उपास्थित।
 रैस्पो. नं० 6, 7, 8 उपास्थित। अपीलान्ट द्वारा
 अपील में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई आपत्ति
 नहीं होना रैस्पो. नं० 6, 7, 8 द्वारा व्यक्त किया
 गया। पत्रावली वास्तु निर्वय दिनांक 3-7-19
 को पेश की।

द्वारा न (अ) (अ)
 अनिता
 सुनिता
 मोली लील


 जिला कलेक्टर
 रोहा

03-7-19 अधिवक्ता उभयपक्ष उपास्थित। पत्रावली का
 अवलोकन किया गया। साथ ही रैस्पो. डेन्थ
 से उलगा 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रवर्तना
 पत्र का भी अवलोकन किया गया। रैस्पो. नं० उलगा
 5 व 9 द्वारा दिनांक 18-6-19 को एवं रैस्पो. नं०
 6, 7, 8 द्वारा दिनांक 25-6-19 को उपास्थित
 होकर अपील में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई
 आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। ऐसी स्थिति
 में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते
 हैं।

अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित नामांतरकरण सं
 169 दिनांक 7-6-1992 ग्राम विशनपुरा तहसील
 दोसा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार
 दोसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है
 कि उभयपक्षभारण से सुना जाकर विचित्र प्रक्रिया
 का पालन करते हुए नियमानुसार अपेक्षित जांच कर
 विधिलम्बत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
 निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जाके
 पत्रावली जैसल शुभार होकर वाद पूर्ति उचित लेख
 अण्डार हो। निर्वय आज दिनांक 03-7-19 को सुलेन्यायालय
 में सुनाया गया।


 जिला कलेक्टर
 रोहा

